न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या – 32/2023 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2023/110

राधेश्याम नागर आत्मज श्री रामलाल जाति धाकड निवासी ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 20.01.2023 मि0नं0 702/2022 तहसीलदार लाडपुरा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. महावीर सेन, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–11.03.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा ने ग्राम राजपुरा की भूमि सिवायचक गै0मु0 रास्ता के खसरा नम्बर 204 की 0.04 हे0 (400 वर्गमीटर) में अतिक्रमण कर पत्थरकोट ईंट की पक्की दीवार कर टीनशेड करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 702/2022 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली के आदेश किया जाकर 2000/– रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 20.01.2023 से बेदखली के आदेश पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 19.06.2023 को पेश की गई है । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को ग्राम पंचायत गोदल्याहेडी पंचायत समिति लाडपुरा कोटा द्वारा दिनांक 28.3.1991 को लघु एवं सीमान्त कृषकों को आबादी भूमि पर निशुल्क आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया, तभी से अपीलान्ट उसमें मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है एवं कृषि यन्त्रों एवं पशुओं के चारे के लिये भी मकान बनाया गया है किन्तु अभी हाल ही में आस पास की भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कोलोनी काटी गई तथा भूखण्ड विक्रय किये गये, जिसमें जाने के लिये रास्ता बनाने के लिये तहसील एवं ग्राम पंचायत के कर्मचारियों से मिली भगत करके अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91(3) एवं धारा 2 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करवाकर आनन फानन में

जिला कलेक्टर
कोटा

उक्त निर्णय जैर अपील पारित करवा लिया और प्रार्थी अपीलान्ट को रिहायशी मकान ध्वस्त करवा दिया । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पंचायत द्वारा जारी किये गये रिहायशी भूमि पर बने पट्टाशुदा मकांन को गैर मुमकिन रास्ता की भूमि मानकर तथा अपीलान्ट को अतिचारी मानकर अतिक्रमी घोषित कर दिया है जो सर्वथा अवैधानिक है । अपीलान्ट द्वारा जब सिविल न्यायालय में दीवानी वाद एवं अस्थायी निषोधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तब योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वहां तो जवाब देही नहीं की तथा जवाब के लिये समय लेते रहे और उसके विपरीत आनन फानन तथा जल्द बाजी में अपीलान्ट की बात सुने बिना ही उक्त निर्णय जेर अपील पारित कर दिया है जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया है कि अपीलान्ट द्वारा किसी भी गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि पंचायत गोदल्याहेडी द्वारा जारी पट्टा दिनांक 28.3.1991 की भूमि पर ही मकान बनाया है । उसके आस पास और भी मकानात बने हए है तथा अपीलान्ट के आबादी भूमि के पट्टे में उसकी चतुर्थ सीमाएं भी दर्ज की हुई है तथा 1991 से ही अपीलान्ट का मकान बना हुआ है । इन सभी तथ्यों को नजरअन्दाज कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित कर दिया है जो अवैधानिक एवं निरस्तनीय है । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जाकारी नहीं हो सकी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जल्दबाजी में राजनैतिक दबाव एवं भू माफियाओं से सांठ गांठ करके पारित करवाया गया है जिसकी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 12.4.2023 को हुई जब भू माफिया मिट्टी खोदने पहुंचे । तब दिनांक 9.6.2023 को नकल प्राप्त कर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट राधेश्याम द्वारा ग्राम राजपुरा की सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने से पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट करने पर अतिक्रमी के विरूद्व शास्ति 2000/– आरोपित करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये है, अपील मे अपीलान्ट द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत गोदल्याहेडी द्वारा जारी किया जाना बताया है किन्तु इस पट्टे में खसरा नम्बरान का विवरण अंकित नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि प्रस्तुत पट्टा इसी अतिक्रमित भूमि का है, यदि मान भी लिया जाए तो भी गै0मु0 रास्ते की भूमि सिवायचक पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है वह प्रारम्भ से ही शून्य है । अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम राजपुरा की भूमि सिवायचक गै0मु0 रास्ता के खसरा नम्बर 204 की 0.04 हे0 (400 वर्गमीटर) में अतिक्रमण कर पत्थरकोट ईंट की पक्की दीवार कर टीनशेड का निमार्ण करने पर पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरूद्व धरा 91 की कार्यवाही करते हुए 2000/– की शास्ति एवं बेदखली के आदेश दिनांक 20.1.2023 को पारित किये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 19.6.2023 को लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है, अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट अतिक्रमी की उपस्थिति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अतिक्रमी के हस्ताक्षरों से होती है, ऐसी स्थिति में अपील विलम्ब से पेश की गई है तथा अपील विलम्ब से पेश करने के ठोस आधार नहीं है किन्तु अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना है इस हेतु यदि कोई विलम्ब भी हुआ है तो वह मायने नहीं रखता है । मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. अतिक्रमित भूमि खसरा नं0 204 की 0.04 हे0 (400 व0मी0) भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है । रास्ते की भूमि पर न तो कोई पट्टा जारी होता है ओर ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण कर सकता है । अपीलान्ट का तर्क विधि अनुरूप नहीं है कि उक्त रास्ते की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है, ग्राम पंचायत केवल आबादी की भूमि जो खाता ग्राम पंचायत हो, उसी का पट्टा जारी कर सकती है । तथा जो पट्टे की प्रति अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है वह किस भूमि का है खसरा नम्बरान का विवरण नहीं है । अतः अपीलांट का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलांट अतिक्रमी होने से अतिक्रमित भूमि से बेदखली एवं शास्ति का आदेश उचित है । अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार कीं जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.01.2023 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है । निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा को भिजवाई जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत गोदल्याहेड़ी पंचायत समिति लाडपुरा द्वारा जारी आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 28.03.1991 गे0मु0 रास्ते की भूमि का होने से उक्त पट्टे को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 11.03.2024को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा